न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 51/2018/अपील/एल.आर.एक्ट/कोटा
दायरा दिनांकः 5.6.2018
अन्तर्गत धाराः 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1. लटूर आत्मज मोती जाति मीणा निवासी ग्राम देदियाखेडी तहसील दीगोद जिला कोटा (राज0)।

...अपीलाट

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री श्री बलराम शर्मा अभिभाषक अपीलाट
श्री हरिश शर्मा राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांक 27.9.2018

अपीलार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा मिसल नं0 11/2018 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 उनवान लटूर बनाम राज0 सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद मे पारित आदेश दिनांक 15.5.2018 (संक्षेप मे अपीलाधीन आदेश) से अप्रसन्न होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम अन्तर्गत प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि उसके पिता की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ख0 नं0 35 रकबा 32 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम देदियाहेडी तहसील दीगोद मे स्थित है जिसके बाद सेटलमेंट नये ख0 नं0 58 रकबा 5.10 है0 कायम किया गया। उक्त भूमि से लगवा तथा ख0 नं0 33 के मध्य मे ख0 नं0 34 गैर मुमकिन नाला की भूमि स्थित है जिसको पुराने नक्शे मे साफ तौर पर दिखाया गया है उक्त पुराना ख0 नं0 34 का नया ख0 नं0 59 अंकित किया गया है जो दोनो की भूमि के मध्य न दर्शा कर प्रार्थी के खेत के अन्दर आयाताकार साईज मे दिखाया गया है जो बिलकुल गलत है जबकि मौके पर पूर्ववत रूप से आज भी नाला मौजूद है जिसमे बरसाती पानी व नहर का पानी बहर कर निकलता है इस कारण पुराने नक्शे के अनुसार ही नया ट्रेस मे ख0 नं0 58 व ख0 नं0 33 के मध्य लम्बी पट्टी के रूप मे ही दर्शा कर नक्शा ट्रेस दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। अप्रार्थी ने भी अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत अपने जवाब मे ख0 नं0 58 व 33 के मध्य ही नाला की भूमि स्थित होना मानते हुये नये नक्शा ट्रेस मे गलत जगह पर नाला की भूमि ख0 नं0 59 अपीलांट के खेत मे अंकित करना वर्णित किया है। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सरसरी तोर पर अवलोकन कर दिनांक 30.8.2017 को खारिज कर दिया जिसकी अपील सं0 127/17 माननीय न्यायालय ए0डी0सी0 कोटा मे की गई जो दिनांक 31.1.2018 को आशिंक रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय

दिनांक 30.8.17 अपास्त कर प्रकरण पुनः निर्णय हेतु रिमांड किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने ख0 नं0 59 की भूमि नाला ड्रेन की भूमि न दर्शा कर ड्रेन व ख0 नं0 58 के मध्य प्रार्थी की ख0 नं0 58 की भूमि मे पश्चिमी ओर ख0 नं0 59 अंकित करने का दिनांक 15.5.2018 को निर्णय पारित कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने अपील पेश कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एंव न्याय संचिका मे प्राप्त तथ्यो के सर्वथा विपरित है। परीक्षण न्यायालय ने बिना पत्रावली का अवलोकन व मनन किये फौरी तौर पर प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार करने मे त्रुटि की है क्योकि मुताबिक नया/पुराने राजस्व रिकार्ड ये यह प्रमाणित है कि अपीलांट के खाते की पुराने ख0 नं0 35 व ख0 नं0 33 के मध्य ख0 नं0 34 नाले की भूमि लम्बी पट्टी के रूप मे अंकित है इस कारण नये ख0 नं0 58 व 30 के मध्य ही ख0 नं0 59 जो पूर्व मे ख0 नं0 34 गैर मुमकिन नाला था हो केचमेन्ट द्वारा ड्रेन के रूप मे बना दिया गया जिसका नम्बर केचमेन्ट द्वारा नही डाला गया है जिसकी ताईद मौका रिपोर्ट से होती है सेटलमेंट विभाग द्वारा गैर मुमकिन नाले की भूमि को सिवायचक दर्ज कर दिया गया जबकि कानूनन किस्म परिवर्तित नही की जा सकती और न ही किसी अन्य कार्य के लिये काम मे लिया जा सकता है। अपीलार्थी की खातेदारी की उक्त भूमि को तहसीलदार नीलामी काश्त करने पर आमादा है अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 15.5.2018 निरस्त किया जावे तथा पुराना ख0 नं0 34 नया ख0 नं0 59 को नये नक्शा ट्रेस मे गत नक्शा के अनुसार ही नये ख0 नं0 58 व 30 के मध्य मे लम्बी पट्टी के रूपम` ख0 नं0 59 गैरमुमकिन नाला (ड्रेन) की भूमि जो नक्शा ट्रेस मे दर्शाई गई पर ख0 नं0 59 डाले जाने तथा अपीलांट के खाते की भूमि मे से ख0 नं0 59 की भूमि हटाई जाकर नक्शा दुरूस्त किये जाने का आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट राजकीय अभिभाषक सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये जाहिर किया कि माननीय न्यायालय ने प्रकरण मे दिनांक 31.1.2018 को निर्णय पारित कर रिमांड किया था अधीनस्थ न्यायालय को माननीय न्यायालय के रिमांड निर्देशो की पालना कर प्रकरण मे आदेश पारित करना था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली मे उपलब्ध नये पुराने राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये बिना व अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात/राजस्व रिकार्ड का समुचित परीक्षण किये बिना जेरअपील निर्णय पारित कर त्रुटि की है। अपीलांट के ख0 नं0 58 के संबध मे तहसीलदार की रिपोर्ट 11.4.2017 प्राप्त की गई। उसके पश्चात पुनः 13.4.2018 को रिपोर्ट मे गेमुमकिन नाला ख0 नं0 58 व 30 के मध्य तथा इस रिपोर्ट के बाद एक ओर रिपोर्ट मे दूसरा बना दिया जबकि खसरा नम्बर बदलकर गेर मु. नाले पर नम्बर डाले जाने है। मुताबिक राजस्व रिकार्ड पुराने ख0 नं0 34 गैर मु.नाला दर्ज था जिसके नये ख0 नं0 59 डाले गये नक्शे मे पहले नाला लम्बी पट्टी के रूप मे अंकित था जिसको सेटलमेंट विभाग द्वारा आयाताकार साईज मे दर्शाकर अपीलांट के पुराने ख0 नं0 35 नये 58 मे दर्शा दिया गया जिसे दुरूस्त कर पूर्ववत नक्शे अनुसार कर रिकार्ड व नक्शा दुरूस्त किया जाना है। जबकि मौके पर पूर्ववत रूप से आज भी नाला मौजूद है। अतः पूर्व नक्शे के अनुसार ही नक्शा ट्रेस मे ख0 नं0 58 व ख0 नं0 33 के मध्य मे लम्बी पट्टी के रूप दर्शा कर नक्शा दुरूस्त किया जाना है व गैरमुमकिन नाले पर नम्बर डाले जाने है। अन्त मे अपील स्वीकार करने का अनुरोध किया।

4 विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस मे अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्यायोचित होना जाहिर किया।

5 हमने अपील एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन किया तथा बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट व रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद ने न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व अपील प्रकरण अपील सं0 127/17 बउनवान लटूर बनाम सरकार मे पारित रिमांड आदेश दिनांक 31.1.2018 की पालना मे ग्राम देदियाहेडी तहसील दीगोद के हाल ख0 नं0 59 रकबा 0.76 है0 भूमि जो वर्तमान नक्शे मे ख0 नं0 58 के अन्दर अंकित है को मौका रिपोर्ट दिनांक 4.5.2018 के अनुसार ख0 नं0 58 की पश्चिमी मेड के सहारे अंकित करने का दिनांक 15.5.2018 को जेरअपील निर्णय पारित किया है। प्रश्नगत प्रकरण मे अपीलांट का मुख्य तर्क है कि राजस्व रिकार्ड पुराने ख0 नं0 34 गैर मु.नाला दर्ज था जिसके नये ख0 नं0 59 डाले गये नक्शे मे पहले नाला लम्बी पट्टी के रूप मे अंकित था जिसको सेटलमेंट विभाग द्वारा आयाताकार साईज मे दर्शाकर अपीलांट के पुराने ख0 नं0 35 नये 58 मे दर्शा दिया गया जिसे दुरूस्त कर पूर्ववत नक्शे अनुसार कर रिकार्ड व नक्शा दुरूस्त किया जाना है। जबकि मौके पर पूर्ववत रूप से आज भी नाला मौजूद है। अतः पूर्व नक्शे के अनुसार ही नक्शा ट्रेस मे ख0 नं0 58 व ख0 नं0 33 के मध्य मे लम्बी पट्टी के रूप दर्शा कर नक्शा दुरूस्त किया जाना है व गैरमुमकिन नाले पर नम्बर डाले जाने है। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख राजस्व रिकार्ड एंव प्रकरण मे प्रस्तुत तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 11.4.2017, 13.4.2018 मौका रिपोर्ट 4.5.2018 के अवलोकन से प्रथम दृष्टया जेरअपील निर्णय की परीक्षण न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से पालना किया जाना प्रकट नही होता है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय को पत्रावली मे उपलब्ध नये पुराने राजस्व रिकार्ड का समुचित परीक्षण कर पूर्ववत नक्शे मे अंकित गैर.मु.नाले की भूमि को वर्तमान नक्शा लठ्ठा मे दर्ज कर ख0 नं0 अंकित किये जाने का स्पष्ट आदेश पारित करना न्यायोचित था। उक्त विवेचन अनुसार हम अधीनस्थ न्यायालय के जेरअपील आदेश को स्पीकिंग आदेश नही होने से न्यायोचित नही पाते है। फलत् अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 15.5.2018 अपास्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण मे पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये उनके द्वारा प्रकरण मे प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड तथा उक्त वर्णित मौका रिपोर्ट का समुचित परीक्षण कर पुनः विधि सम्मत स्पीकिंग एवं तथ्यात्मक आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित (रिमांड) किया जाता हैं।

6 निर्णय आज दिनांक 27.9.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा